न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या – 122/2021

1 कुम्भाराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 रेवन्तराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

......प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ......अप्रार्थीगण

राजस्ववादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

:निर्णय: दिनांक 06.09.2021

वादीगण का कथन है की विवादित जमीन चक 24 केवाईडी ए के मुरब्बा नंबर 78/35 के किला नंबर 22 से 25 में 2–2 बिस्वा भूमि रास्ता के तौर पर दर्ज है। यह रास्ता सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना की रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह रास्ता आज दिनांक तक बंद है और वर्तमान में इस रास्ते की कोई जरूरत नहीं है लेकिन तहसीलदार खाजूवाला द्वारा इस रास्ते को खुलवाने की कार्रवाई की जा रही है। वादी गण ने मांग की है कि रास्ते की भूमि को आराजीराज दर्ज किया जाए और तहसीलदार खाजूवाला को इस भूमि में दखलअंदाजी ना करने का आदेश दिया जाए।

अदालत द्वारा वाद पत्र पर गौर किया गया अदालत की राय है कि यह वाद स्टेनेबल नहीं है क्योंकि जब तहसीलदार द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत सरकारी रास्तों से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जाती है तब सभी हितबंद पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अगर वादीगण तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही से व्यथित हैं तो वह तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। इस मामले में इस अदालत में parallel कार्रवाई इनीशिएट करने का कोई औचित्य नहीं है। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करें।

निर्णय आज दिनांक को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:08:34 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:08:34 IST
Reason: SelfAttested